भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2575

जिसका उत्तर 22.12.2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण

2575. श्री देवजी पटेल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों(एनएच) के रखरखाव के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ख) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग विशेष रूप से एनएच-68 के रखरखाव के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित निधि कितनी है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों की बड़ी मरम्मत हेतु पारस्परिक प्राथमिकता तय करने के लिए कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या बड़ी मरम्मत की आवश्यकता का पता लगाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति का आकलन करने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। 2022-23 के दौरान रारा के रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) के लिए राजस्व शीर्ष के तहत बजट अनुमान (बीई) स्तर पर मंत्रालय के लिए लगभग 2,480 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने 2022-23 के दौरान पूंजीगत मद के तहत अब तक लगभग 768 करोड़ रुपये का आवंटन रारा पर आवधिक नवीनीकरण (पीआर)/राइडिंग क्वालिटी प्रोग्राम (आईआरक्यूपी) में सुधार के लिए किया है, जिसमें एमएंडआर कार्य भी हैं।

(ख) राजस्थान राज्य सरकार को सौंपे गए रारा के एम एंड आर के लिए राजस्थान राज्य के लिए 2022-23 के दौरान अब तक लगभग 44.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा उन्हें सौंपे गए एनएच हिस्सों के एम एंड आर के लिए भी धन खर्च किया जाता है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्थान में रारा-68 के लिए स्वीकृत एम एंड आर कार्यों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की अवधि (अनुबंध अवधि)	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1.	रारा-68 के गुजरात सीमा तक गंधव पुल का ओवरले/मजबूतीकरण	6 माह	31.92
2.	रारा-68 के जैसलमेर से बाड़मेर खंड का अल्पावधि सुधार और नियमित रखरखाव	3 वर्ष	17.30
3.	रारा-68 के बाड़मेर से गंधव पुल खंड का अल्पावधि सुधार और नियमित रखरखाव	3 वर्ष	26.57

इसके अलावा, राजस्थान में रारा-68 के किमी 123.410 से किमी 160.700 में एम एंड आर कार्यों का दायरा चालू कार्य के इंजीनियरिंग प्रापण अनुबंध (ईपीसी) के तहत कवर किया गया है।

(ग) और (घ) रारा का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार समय-समय पर यातायात घनत्व, पारस्परिक प्राथमिकता और राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए निधि की उपलब्धता के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य किए जाते हैं।

रारा पर किए गए विभिन्न प्रकार के एम एंड आर कार्यों में सामान्य मरम्मत (ओआर), आवधिक नवीनीकरण (पीआर), विशेष मरम्मत (एसआर) और बाढ़ क्षति मरम्मत (एफडीआर) शामिल हैं।

रारा के खंडो का एम एंड आर, जहां या तो विकास कार्य शुरू हो गए हैं या संचालन, रखरखाव और स्थानांतरण (ओएमटी) रियायतें / संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) अनुबंध दिए गए हैं, की जिम्मेदारी दोष देयता अवधि (डीएलपी)/रियायत अवधि तक संबंधित रियायत पाने वालों / ठेकेदारों की है।

उपलब्ध बजट परिव्यय, पारस्परिक प्राथमिकता और यातायात घनत्व के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष हिस्सों का एम एंड आर नियमित रूप से किया जाता है ताकि ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा सके।

(ङ) मंत्रालय और विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के अधिकारी [अर्थात एनएचएआई, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)] समय-समय पर रारा की स्थितियों का नियमित मूल्यांकन करते हैं। तदनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात घनत्व और निधि की उपलब्धता के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आगे आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

*****